Dainik Navajyoti
CMA decrease in GST rate on Cement
Nov 30, 2018 | Jaipur | Pg No.: 7 | Middle Center | Bureau | Sq Cm: 126 | AVE: 222704 | PR Value: 1113520

सीमेंट पर जीएसटी दर में हो कमी: सीएमए

एजेंसी/नवज्योति,नई दिल्ली

सीमेंट उद्योग के शीर्ष संगठन सीमेंट मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन (सीएमए) ने सीमेंट की मांग में तेजी लाने तथा उद्योग को पूरी क्षमता से काम करने के लिए इस पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर को 28 फीसदी से कम करने की मांग की है।

संगठन द्वारा गुरुवार को यहां आयोजित पहले कांक्रिटेक शिखर सम्मेलन के दौरान सीएमए के अध्यक्ष एवं जे के लक्ष्मी सीमेंट के पूर्णकालिक निदेशक शैलेन्द्र चौकसी ने संवाददाताओं से कहा कि जीएसटी में सीमेंट को भी लक्जरी उत्पाद की श्रेणी में रख दिया गया है जबकि यह वर्तमान में हर किसी के लिए उपयोगी हो गया है। उन्होंने कहा कि उनके संगठन ने इसको लेकर जीएसटी परिषद और वित्त मंत्री से भी मिल चुका है और सीमेंट पर जीएसटी दर को कम करने की अपील किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इसकी दरें में एक साथ कमी नहीं की जा सकती है लेकिन चरणबद्ध तरीके से इसमें कमी की जानी चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल सके और मांग बढ़ाने में भी मदद मिल सके।

चौकसी ने कहा कि वर्ष 2001 से ही सीमेंट की मांग में एकल अंक की बढ़ोतरी ही रही थी लेकिन वर्ष 2016 से इसमें सुधार हुआ है और चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में इसमें 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, सड़क , रेलवे और स्वच्छ भारत मिशन का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने सीमेंट कंपनियों के साठगांठ कर सरकारी निविदा भरने के आरोपों पर कहा कि अभी विभिन्न परियोजना के लिए 150 रुपए प्रति 50 के किलो के बैग का टेंडर भरा गया है। करीब दस वर्ष पूर्व 120 रुपए प्रति बैग की निविदा भरी जाती थी।